MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

16.48 hrs.

ROAD TRANSPORT CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: We now take up item No. 12, namely the Road Transport Corporations (Amendment) Bill. The Minister.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Before he moves, I have an objection to this Bill.

MR. CHAIRMAN: Have you given it in writing?

SHRI MOOL CHAND DAGA: Yes.

MR. CHAIRMAN: When? It is not here. So, I cannot allow it.

*नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

सड़क परिवहन, निगम (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाए ।

निःसन्देह माननीय सदस्यों को पता है कि सड़क परिवहन सेवा की कुछ मितव्ययी तथा समुचित समन्वित योजना प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों ने सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत सड़क परिवहन निगमों की स्थापना की है । अभी 21 ऐसे निगम कार्य कर रहे हैं ।

वर्षानुक्रम में इन निगमों के कार्यकरण में कुछ प्रतिक्रियात्मक और व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया गया है । ऐसी अवधारणा थी कि अधिनियम को न सिर्फ अधिक प्रगामी और आधुनिक प्रबंधकीय पद्धति पर आधारित बनाए जाने बल्कि विभिन्न राज्य परिवहन उपक्रमों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए अधिनियम को संशोधित किया जाए । इस बात को ध्यान में रखते हुए चालू सड़क परिवहन निगम अधिनियम में थोड़ा संशोधन करने का प्रयास किया गया है और संसद के समक्ष रखा गया है ।

इन संशोधनों को तैयार करने में विभिन्न राज्य उपक्रमों, सरकारी उद्यमों, वित्त और रेल मंत्रालय तथा परिवहन विकास परिषद् की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है । इस संशोधन विधेयक के प्रमुख मुद्दे हैं :—

1. अधिनियम की धारा–1 को संशोधित करते हुए इस अधिनियम को संघ शासित क्षेत्र मिजोरम पर लागू करने की अपेक्षा की गई है ;

2. अभी संगठनात्मक और कार्यपालक पक्ष के बीच के अन्तर को स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों को निगम की संज्ञा दी गई है । इसलिए, यह महसूस किया गया कि उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाए । इसलिए, एक निदेशक मण्डल का सृजन करने का प्रस्ताव है जो कार्यपालक स्तर से नीति निर्धारण स्तर के बीच विभेद करे । इसलिए धारा 5(1) को संशोधित करने की अपेक्षा की गई है ।

3. वर्षानुक्रम में विभिन्न राज्य परिवहन निगमों के कार्यकलाप में वृद्धि हुई है और उनकी सेवाएं गंवई क्षेत्रों तक पहुंचाई गई हैं जिसके परिणामस्वरूप बेड़े की क्षमता में वृद्धि करनी पड़ी । इसलिए बेहतर प्रबन्ध के लिए यह महसूस किया गया है कि एक समर्थ उपबन्ध लागू किया जाए, जिससे निगमों को

---

* Moved with the recommendation of the President.

सहयोगी संगठन का सृजन करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके । चालू विधेयक में ऐसी व्यवस्था की अपेक्षा की गई है ।

4. फिलहाल निगम अपनी ओर से शेयर पूंजी जुटाने के लिए प्राधिकृत नहीं है । अभी उनको उपलब्ध सीमित वित्तीय स्रोतों को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि राज्य उपक्रमों को इस प्रकार गठित किया जाए जिससे वे अपनी शेयर पूंजी जुटा सकें । ऐसे उपबन्ध से राज्य और केन्द्रीय सरकारी ऋण की गुणावगुण के आधार पर आंशिक या पूर्णरूप से इक्विटी में बदला जा सके । इससे वे खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से भी ऋण जुटा सकेंगे। इस अधिकार का अधिक प्रयोग किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार की पूर्वानुमति बाध्यकर बना दी गई है ।

5. प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य यह है कि पर्याप्त और कुशल परिवहन पद्धति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सड़क परिवहन निगमों के प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित कुछ उपबन्धों को संशोधित किया जाए । प्रस्तावित उपायों और देश में परिवहन सेवा में सुधार पर इसके प्रभाव की उपयोगिता को देखते हुए, मेरा अनुरोध है कि इन संशोधनों को पारित किया जाए ।

महोदय, मैं विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए पेश करता हूं ।

I beg to move:

"That the Bill further to amend the Road Transport Corporations Act, 1950, be taken into consideration."

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): I am on a point of order. The Road Transport Corporation Act 1950 is being amended today and the paroposal is before the House. Section 44 of this Act says as follows:

"The State Government may by notification in the official gazette make rules to give effect to the provision of this Act."

Then Section 45 of the same Act says as follows:

"A Corporation may with the previous sanction of the State Government make regulations, not inconsistent with this Act and the rules made thereon for the administration of the affairs of the corporation."

The Committee on Subordinate, Legislation has recommended that there should be a laying down formula on the Table of the House. I will quote from the Ninth Report of the Fifth Lok Sabha. It says:

'The Committee are surprised to note that even after 18 years of presentation of the Third Report (First Lok Sabha) (Report was presented on 3-5-1955), such omissions are still being made. The Committee have earlier in this Report referred to the importance of the provision regarding laying of rules and regulations, bye-laws, etc. before Parliament. The Committee therefore reiterate their earlier recommendation made in paras 36-37 of Third Report (First Lok Sabha) wherein they had emphasised that in all future Bills which might seek to delegate power to make rules, regulations etc. which might seek to amend Acts giving power to make rules, regulations, etc. suitable provision regarding laying them on the Table should be included therein."

Because he is bringing this amendment of the 1950 Act, I say that this amending Bill should contain it. He must bring that formula; that proviso must be there. If it is not there, then it is not complete. Because, many a time we have repeated. What is that formula? The formula is:

[Shri Mool Chand Daga]

"Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification to the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

That is the formula which was approved by the Law Department and it was circulated to all the Ministries that in any amending Bill this formula should be there. But I find that in this Bill, the Road Transport Corporations (Amendment) Bill, 1981, I do not see that that formula has been included. This is again a mistake. So, I will again submit this, that he must insert this formula in this present Bill; if he does not, then in this regard the recommendations given by the Committee made 30 years ago stand and repeatedly we have said that in all future bills they should include this formula and this is a mandatory provision.

MR. CHAIRMAN: Very good. Minister, have you got anything to say?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI C. M. STEPHEN): I do not see how this point of order is raised. We are at the stage of consideration. If a new clause has got to be brought there the method is to propose an amendment and through an amendment proposal the matter can be discussed. And as far as this proposal is concerned, we are taking care of the rule-making formula as a matter of legislative policy that it must be laid on the Table of the House for 30 days and the House will have an opportunity to accept or to reject it. This formula is taken care of. Even if it is not taken care of, this is not the method to bring it in. This point of order is not in order.

MR. CHAIRMAN: Now, I think Mr. Daga is satisfied. Mr Mohammed Ismail.

SHRI MOOL CHAND DAGA: That is not the point. After all, you are making certain amendments in the Act.

MR. CHAIRMAN: Mr. Daga, first thing is, you have not given any notice that you will raise it or that you will not raise. Even on that, the Minister has pointed out that the rule-making power is there. Whatever you are suggesting, they will do.

SHRI MOOL CHAND DAGA: That is not the suggestion. It has been laid down that every rule which will be made should be included. That is the formula of the Committee on Subordinate Legislation.

SHRI C. M. STEPHEN: I will read out the formula:

"Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

This provision will apply to all the rule-making powers that are already in the law.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Is it there in this Bill or not?

SHRI C. M. STEPHEN: It is there in the amending Bill. It is there in the amendment that we are proposing.

MR. CHAIRMAN: He has explained it. Mr. Daga, the Minister has explained it.

SHRI MOOL CHAND DAGA: This Road Transport Corporation Amendment Bill is coming now. The amendment is now being proposed. He should circulate this amendment which is now being proposed, among the Members.

17 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

SHRI C. M. STEPHEN: I must also clarify that the amendment which I read out, related to the earlier Bill, which has already been adopted by the House. I am sorry, I made a wrong submission on this.

As far as this Bill is concerned, we are not seeking any rule-making power in the amendment that we are now proposing. The hon. Member is now proposing that the formula that was accepted by the Subordinate Legislation Committee, may be incorporated in the main Act by a new amendment. There is no particular formula which he has mentioned, for rule-making power in the main Act. He wants me to bring an amendment through this Bill by adding another clause proposing incorporating of this formula that was accepted. If that is purpose, the Government do not wish to bring forward that amendment. It is for him to bring the necessary amendment and the Government will react to that.

SHRI MOOL CHAND DAGA: What is your ruling?

MR. DEPUTY-SPEAKER: My ruling is that your point of order is not in order.

Motion moved:

"That the Bill further to amend the Road Transport Corporation Act, 1950, be taken into consideration."

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट बिल के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना है । इस अमेंडमेंट को जो मैं ने समझा है इस से उन कमेटियों को जो स्टेट में कायम हैं, जो इनको कंट्रोल करती हैं, इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट ने यह समझा कि वह पूरी तरह से ठीक काम नहीं कर पा रही हैं काननी कुछ मुश्किलात हैं, उस लिहाज से यह अमेंडमेंट लाये हैं इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट के बाद जो तमाम चीजें डिटेल की हैं, उसके बारे में दो, तीन प्वाईन्ट्स खासतौर से बोलना चाहता हूं ।

यह अच्छी बात है कि स्टेट्स में जो रोड ट्रांस्पोर्ट की कमेटियां हैं, उनको और पावर होंगी, यह काम होना चाहिए । अगर सेंट्रली कन्ट्रोल न हो स्टेट्स में तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स आज जिस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट के वर्क के साथ मनमाना बर्ताव कर रही हैं, आप जानते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट, जो मोटर लावी ओनर्स की है, वह बहुत स्ट्रांग हैं, ताक़त रखती हैं, अभी उस के खिलाफ यह कार्पोरेशन कुछ नहीं कर पाती है। ये लोग ही कार्पोरेशन को कंट्रोल करते हैं । आज हिन्दुस्तान में यह लावी काफी शक्तिशाली है, और इसके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है इस अमेंडमेंट से उनका दखल कुछ कम होगा, ज्यादा नहीं । स्टेट कमेटियों में उनका इन्फ्लुएंस है और कार्पोरेशन्ज उनके इनफ्लूएंस में चल रही हैं ।

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

जहां तक ट्रांसपोर्ट वर्करों का सम्बन्ध है, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, न तो इस बिल में और न मंत्री महोदय के भाषण में। सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन है कि ट्रांसपोर्ट के वर्करों और ड्राइवरों की तन्ख्वाहों और फेसिलिटीज में बहुत डिसपैरिटी है। अलग अलग स्टेट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के स्केल्ज में कोई यूनिफार्मिटी नहीं है। इस एमेंडिंग बिल में इस बारे में प्राविजन किया जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ यह कहा गया है कि एम्पलाईज की वेजिज का खयाल किया जाएगा।

इन कमेटियों में एक्सीक्यूटिव आफिसर्ज मुकर्रर होंगे। अगर वे पुराने ढंग से काम करेंगे, तो फिर कोई सुधार नहीं होने वाला है। रोड ट्रांसपोर्ट में स्ट्रांगगेस्ट लाबी काम कर रही है। मंत्री महोदय यह विश्वास दिलाएं कि वह एम्पलाएईज के हालात को सुधारने के लिए प्राविजन करेंगे। जैसा कि अभी कुछ पहले कहा गया है कि बैंकों को मैनेजर वगैरह कंट्रोल करते हैं और वे वीकर सेक्शन्ज को नहीं, बल्कि अपने, दोस्तों को फायदा पहुंचाते हैं। मंत्री महोदय एमेंडमेंट ला कर स्टेट कमेटियों को ताकत दें।

मुझे सब से ज्यादा अफसोस इस बात का है कि इस बिल में एम्पलाईज के सेफगार्ड का जिक्र तक नहीं किया गया है। जिस तरह इससे पहले बिल में एक कैटेगरी के बारे में एशोरेंस दिया गया है, उसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट के एम्पलाईज के बारे में एशोरेंस दिया जाए, ताकि इस बिल के पास होने के बाद वे लोग यह महसूस करें कि अब उनकी हालत बेहतर होगी। जैसा कि मैंने कहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्ज में तन्ख्वाहें और फैसिलिटीज अलग अलग हैं। इसके लिए एक सेन्ट्रल पालिसी होनी चाहिए और इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता और न ही इसकी मुखालिफत करना चाहता हूं। लेकिन मैंने जो बहुत सी बात यहां पर उठाई हैं उनका जवाब अगर माननीय मंत्री जी देंगे तो अच्छा रहेगा। भारत आई० एल० ओ० का सदस्य है। वहां का कनवेन्शन है कि ड्राइवरों से एक साथ पांच घंटे से ज्यादा काम न कराया जाये। इस पर मंत्री महोदय अपनी राय देने की कृपा करें। उनके जवाब से यह बात साफ हो सकेगी कि व पुराने तरीके से ही घोड़ा चलायेंगे या कोई और लगाम लगाना चाहेंगे। चूंकि इस बिल के लिए केवल दो घंटे का ही समय रखा गया है और दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी राय जाहिर करनी है इसलिए मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता हूं।

श्री **वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

मैं मंत्री जी का ध्यान क्लाज (2) और (3) की ओर दिलाना चाहता हूं जो बहुत इम्पार्टेन्ट है :

"(2) The State Government may remove from office the Chairman or any other Director of the Corporation who is guilty of misconduct (including abuse of power or corruption):

Provided that no person shall be removed under this sub-section except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges:

Provided further that the preceding proviso shall not apply:

(i) where such person is removed on the ground of conduct which has

led to his conviction on a criminal charge; or

(ii) where the State Government is satisfied for some reasons to be recorded by that Government in writing that it is not reasonably practicable to hold such inquiry; or

(iii) where the State Government is satified that in the interests of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry."

एक तरफ तो आपने चयरमैन के सम्बन्ध में प्राविजो लगाया है कि उसको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा और उसके बाद ही उसको हटाया जायेगा। लेकिन बाद में आपने जो प्राविजो लगाया है और उसमें जो अधिकार ले लिया है उसके अनुसार इंक्वायरी करने और रीजन्स बताने की आवश्यकता भी नहीं रह गई है, चयरमैन को तत्काल हटाया जा सकता है। में समझता हूं चयरमैन की एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है उसको बिना कारण बताए और बिना जांच किए हुए हटाने का प्राविजन यदि आप करते हैं तो यह चयरमैन का अपमान है। इतनी बड़ी संस्था के चयरमैन को गवर्नमेंन्ट जब भी चाहे तब निकाल सकती है, बिना कोई कारण बताए निकाल सकती है। मैं समझता हूं यह सेक्शन (2) और (3) में जो प्राविजन्स हैं उनसे चयरमैन का अपमान होता है। एसी स्थिति में कोई भी नान-आफिशियल चयरमैन इस पोस्ट पर नहीं रहना चाहेगा। गवर्नमेंन्ट आफिशियल की बात और हो सकती है लेकिन कोई भी अधिकारी या नान-आफिशियल जो सममान-जनक स्थिति में रहना चाहेगा वह इस पद पर रहना नहीं चाहेगा।

इसमें कुछ और प्राविजन्स भी किए गए हैं। विशेष तौर से रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की स्थिति बड़ी कमजोर रहती है अतः उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ अमेण्डमेन्ट लाए गए हैं जिनका में स्वागत करता हूं। कार्पोरेशन होने के नाते उनको "बोरो करने, उधार लेने के अधिकार दिए गए हैं। पहले ओपेन मार्केट से बारो करने का अधिकार था अब नेशनालाइज्ड बैंक्स से भी बारो करने का अधिकार दिया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं इससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। शेयर-होल्डर्स के द्वारा भी शयर्स कंट्रिब्यट करके वित्तोय स्थिति को मजबत करने का प्रावधान रखा गया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। जिस उद्देश्य से हमने निगमों की स्थापना की थी, सन् 1950 में कानून बनवाया था, उस उद्दश्य की पूर्ति नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जनता को अधिक से अधिक सुविधायें दें, अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, लेकिन इस दिशा में हमारे उद्दश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है।

मैं आपको राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं। राजस्थान में कारपोरेशन बहुत ही घाटे में चल रहे हैं। मुझ यह भी जानकारी है कि प्राइवेट पर्सन्स राजस्थान की सरकार को चैलेंज दे रहे हैं कि यदि यह कार्य आप हमें सौंप दें, तो हम जितना तुम्हारा ओवर-ड्राफ्ट चल रहा है, करीब दो सौ करोड़ रुपये का, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हम जनता को सुविधायें देने के लिए भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि यह किसी भी हालत में उन आदमियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। आज गाड़ियों की स्थिति यह है कि वे ओवर-लोडेड होती हैं। नीच और ऊपर दोनों जगहों पर आदमियों को भर दिया जाता है। 90प्रति-शत लोगों के टिकट काटते ही नहीं हैं। कन्ड-क्टर्स इतनी बेईमानी और बदमाशी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सुपरवीजन कन्ट्रोल नहीं है, वहां पूरी तरह से करप्शन चल रहा है, इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एप्वाइंट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं। एक डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट एरिए को कन्ट्रोल नहीं कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टेट्स में जो कर-प्शन चल रहे हैं, उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट कन्ट्रीब्यट करती है,

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

रेलव कन्ट्रीब्यट करता है । इससे बदनामी हमारी कांग्रेस सरकार की होती है । जब हम पैसेन्जर्स के साथ बसेज में सफर करते हैं, जो हमें इस प्रकार आलोचनायें सुनने को मिलती है, तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि हमारी केन्द्रीय सरकार और हमारे मंत्री महोदय इस ओर प्रयास करें और उन पर प्रभाव डालें, कि उनको इस प्रकार करप्शन नहीं करना चाहिये। बसेज के कन्डक्टर्स इस प्रकार की दादागिरी डालते हैं, टिकट नहीं काटते हैं, जरा सा कहने पर लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। जहां तक लासेज का सवाल है, इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1979 में 3.91 करोड़ रुपये का लास हुआ और 1980-82 में 34.6 करोड़ रुपये का लास हुआ है । लास बढ़ रहा है और किसी भी हालत में घट नहीं रहा है । दूसरी बात यह है कि बस स्टैण्ड की सुविधा नहीं है । आपको यह इन्स्ट्रक्शनस देनी चाहिए जो महत्वपूर्ण नगरों में जिले मुख्यालय है, वहां इस प्रकार की असुविधा कम से कम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को अच्छे बस-स्टैंड बनाने चाहिए। टैंपरेरी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए लैट्रिन और पेशाब घरों की व्यवस्था होनी चाहिए । जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर सुविधा दी जाती हैं, इसी प्रकार बस स्टेंडों पर भी सारी सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। जोधपुर जैसे बड़े शहर के बस स्टैंड पर भी लैट्रिन वगैरह की अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है । इस तरह की सुविधाएं यात्रियों हको प्रदान की जानी चाहिएं।

सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। इन सड़कों पर ओवर लोडेड गाड़िया चलती हैं, जिनको सड़कें सहन नहीं कर पातीं। सड़कें मजबूत नहीं हैं नेशनल हाईवे सिथति भी यह है कि अगर सेशंन के अनुसार चलें तो 3000 करोड़ रुपया खर्च करना होगा और अगर राज्यों में सेशन रोड्स को भी शामिल कर लिया जाय तो 6000 करोड़ रुपया खर्च करना होगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लान के अंदर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, फण्ड्स का प्रावीजन नहीं कर रहे हैं । जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा सड़कों के विकास पर खर्च किया जाता है । अगर सड़कों का विकास नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से नहीं चल सकता । दुर्घटनाएं होंगी । अभी पिछले दिनों पढ़ने में आया था कि दुनियां में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हिन्दुस्तान में होती हैं । योजना में इस चीज को प्रथमिकता दिए बिना सड़कों का विकास नहीं हो सकता । इसका असर गुड्स ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ता है, जिसका जरिया मुख्य रूप से ट्रक हैं । ये सारी व्यवस्थाए करने के बाद ही आशाएं हमने कारपोरेशनों से लगा रखी हैं, पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए उनको सुविधाएं देकर लाभादायी बनाना चाहिए और जनता की असुविधाओं को दूर करने में पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, रोड कारपोरेशन अमेंडमेंट बिल पर बोलने से पहले आपके मैं माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जरुर कह देना चाहूंगा । अगर मैं इस वक्त कोरम का सवाल उठाऊं तो मैं समझता हूं कि सदन का समय बेकार

जाएगा । लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बिल आए और यहां पर उपस्थिति की यह स्थिति हो तो उसका अपोजीशन के मेंबर्स पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता । अपोजीशन पार्टियों के सांसदों को यह कहते सुना जा सकता है कि जब रूलिंग पार्टी के लोग ही बैठने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम क्यों अपना समय बरबाद करें। इसलिए सरकार को और माननीय मंत्री जी को इस मामले पर सोचना चाहिए कि ऐसे समय में सदन का कोरम पूरा होना चाहिए । कोरम न होने से अच्छा असर नहीं पड़ता है ।

जहां तक रोड ट्रांसपोर्ट अमेंडमेंट बिल का सवाल है, उपाध्यक्ष जी, मैं मूलभूत इसका समर्थन करता हूं । यह आलोचना करते हुए कि इस अमेंडमेंट बिल को लाने से पहले सरकार को जो हमारे कारपोरेशन्स पूरे देश में जिस ढंग से चल रहे हैं, उन पर गहराई से सोचना चाहिए । क्योंकि कोरपोरेशन्स के काम करने के तौर तरीके के साथ देश की उन्नति का सवाल जुड़ा हुआ है । कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट कौरपोरेशन ऐसी नहीं है जो प्रति वर्ष घाटे में न चल रही हो और इस का कारण यह है कि हमारे सरकार अधिकारियों की प्राइवेट ओनर्स के साथ, चाहे वह बसों के हों या ट्रकों के, साजिश रहती है । ऐसे रूट्स पर भी कोरपोरेशन के अधिकारी प्राइवेट बसेज को अलाऊ कर देते हैं जिन पर उनको नहीं चलना चाहिए । इसके कारण स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को कार्पोरेशन्स को घाटा होता है । इसी साजिश के परिणामस्वरूप आज प्राइवेट परमिट लगातार बढ़ रहे है और उन रूट्स पर भी जिन पर सरकारी ट्रांसपोर्ट चलती है, उन पर प्राइवेट गाड़ियां चलने लगती हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि इससे करोड़ों रु० का नुकसान देश को हो रहा है ।

आपके जितने भी डिपोज़ हैं पूरे देश के अन्दर, पंजाब की स्थिति दूसरे प्रदेशों की तुलना में बस स्टेंड आदि की कुछ अच्छी है, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया है रोड्स का, बस स्टैंडों का, लेकिन और प्रान्तों में सब जगह हालत खराब ही है । मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने देश के लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दीजिए । कौरपोरेशन्स पर ऐसा प्रतिबन्ध लगायें जिससे वह यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें । आज आपकी कोई बस सही सलामत में नहीं है, किसी की चादर फटी है, किसी के शीशे टूटे हैं । ऐसी बसों में मुसाफिर सुरक्षित सफर नहीं कर सकते । ऐसे एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं कि टायर फटने से पूरी बस फट जाती है और लोगों को चोटें पहुंचती हैं । आपने जो स्पेशल कोचेज़ चलायी थीं उनकी यह स्थिति है कि हर महीने उन बसेज़ के दो, दो वार टायर फटते हैं । आपके लोनी डिपो के कर्मचारियों ने तो मुझे यहां तक कहा है कि उस डिपो के मैनेजर, ** सड़े गले टायर मंहगी कीमत पर खरीदते हैं । और अगर किसी रूट पर 50 बसें चल रही हैं..

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr Jagpal Singh, please don't mention the name of any officer who is not here. That name alone will not go on record.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : ठीक है । तो मैं कह रहा था कि अगर किसी रूट पर 50 बसें चल रही हैं तो उनमें से 28, 30 बसें पूरे रूट पर कहीं न कहीं खराब हालत में खड़ी रहती हैं । डिपो के अन्दर कोई बस ठीक होने के लिए गई तो कई कई महीने वहां खड़ी रहती है । बस स्टैंडों की हालत यह

**Not recorded.

[श्री जगपाल सिंह]

कि कोई सुविधा वहां मुसाफिरों को नहीं है, बल्कि आपके अधिकारी शामिल होकर उन मुसाफिरों को लुटवाने का काम करते हैं चाय, छोले भटूरे आदि के ठेके महंगे दे कर मुसाफिरों को लुटवाते हैं, और बस स्टैन्डों पर आपके पुलिस कर्मचारी लोगों के जेब कटवाने में शामिल रहते हैं । इसलिए बस स्टैन्डों पर सुविधाऐं बढ़ाइये । आज वहां सफाई नाम की चीज नहीं है । वहां की लैट्रीन्स की हालत यह है कि कोई आदमी उनमें जाना पसन्द नहीं करता है, बाहर स्टैन्ड को ही खराब करता हैं ।

बसों के बारे में खासतौर से कहना चाहता हूं कि उनकी हालत को सुधारें । आज पूरे देश में एक राय बन चुकी है कि प्राइवेट बसों में अच्छी सुविधायें हैं, सरकारी बसों में नहीं । उनकी कंडीशन अच्छी होती है, उनमें सुविधाएं ज्यादा हैं, किराये भी कम हैं ।

एक माननीय सदस्य : उनकी भी वही हालत है । कोई फर्क नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : फिर भी प्राइवेट बसेज़ ज्यादा अच्छी हैं, उसमें सुविधा होती हैं ।

आपकी ऐसी ऐसी बसेज़ रूट पर चलती हैं जिनमें किसीं वक्त अगर वारिश आ जाए तो यह गारन्टी नहीं कि मुसाफिर उससे बच पायेंगे या नहीं । यह हालत आपके कार्पोरेशन की है । इन कार्पोरेशन को आप विभिन्न साधनों के द्वारा अधिक पैसे की छूट देना चाहते हैं । मुझे मालूम है कि ऐसे अधिकारी और चैयरमैन इन कार्पोरेशनों के हैं, जिनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है जिन्होंने करोड़ों-करोड़ों रुपये की गड़बड़ की है । आप रिपोर्ट मंगवाइये और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए ।

प्राइवेट बसों के मालिक फायदे में जाते हैं और आपकी कार्पोरेशन करोड़ों रुपये के घाटे में जाती है । आप ऐसे इन-कंपीटैंट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाहीं कीजिए, उन्हें सस्पैंड कीजिए, हटाइये वरना उनकी यह आदत बन गई है । कुछ अधिकारी सरकारी डिपो के अन्दर सारा सामान पर्चेज करते हैं प्राइवेट ओनर्स से चाहे टायर्स हों या स्पेयर पार्टस हों, लेकिन फिर भी आपकी बसेस खराब रहती हैं । वह कम पैमेंट करके ज्यादा वसूली करते हैं । जितने डिपोज़ के अधिकारी हैं, वह मालोमाल होते जा रहे हैं ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस मुल्क की इकनामिक कंडीशन का सवाल है, मुल्क की ट्रांस्पोंट का सवाल है । अगर इसको हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा ।

आपको सड़कों के संबंध में सी०पी० डब्लू० डी० और पी० डब्लू० डी० का तालमेल बैठाना चाहिए । ऐसी-ऐसी सड़कें हैं जिन पर बसेज़ चलती हैं तो वह जल्दी खराब हो जाती हैं । सड़कों की हालत बहुत खराब है । मैं आपको यह भी बता दूं कि आज देश के हर प्रदेश में सैकड़ों पुल ऐसे हैं जिन पर रोड कार्पोरेशन काम करती है, जिन पर लिखा है कि आप व्हीकल को आराम से निकालिये, क्योंकि पुल बहुत कमजोर है । आप देख सकते हैं बरसों-बरसों से लिखा है कि आप आराम से गाड़ी उतारिये । यह खिलवाड़ लोगों के साथ किया जा रहा है । ऐसे पुल हैं, दिल्ली के अन्दर भी इस तरह की 2,3 घटनाएं हुई हैं । आप अपनी कार्पोरेशन को निर्देश दीजिए कि वह सी०पी० डब्लू० डी० और पी० डब्लू० डी० के साथ तालमेल करके ऐसे पुल को खत्म करे और नये पुलों का निर्माण करे और सड़कों की स्थिति को भी सुधारने का काम करें।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमारी सैन्ट्रल गवर्नमैंट इस मामले में कुछ सख्ती करने जा रही है, और इसमें उसका सहयोग किया जाना चाहिए। जो मुसाफिरों को असुविधाएं होती हैं, और जो बसों की कंडीशन खराब है, उसकी तरफ खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए।

देहातों में और जो छोटे कस्बे हैं, वहां जो बस स्टैंड हैं, आज तक पूरे देश के अन्दर पंजाब और हरियाणा को छोड़कर कहीं भी किसी साये का इंतज़ाम नहीं है। बड़े-बड़े कस्बों में कोई बस स्टैंड नहीं हैं। बरसात हो, धूप ही या गर्मी सर्दी हो खुले आंकाश के नीचे मुसाफिर बैठते हैं, उतरते और चढ़ते हैं। कार्पोरेशन को चाहिए कि देहातों और कस्बों में भी बस-स्टैंड बनाये और पेसेन्जर की अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करे। आज जो उनको लूटने का तरीका हो गया है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, पुलिस वाले और आपके आफिसर्स उसमें शामिल होते हैं, ठेकेदार शामिल होते हैं, जो सरकार को पैसा कम देते हैं और खुद ज्यादा वसूल करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाइये। इससे आपकी स्टेट गवर्नमेंट फायदे में जायेंगी और मुल्क को भी फायदा होगा वरना इस बिल को बना देने का कोई फायदा नहीं है।

बिल के पीछे एम जनता को फायदा पहुंचाने का होना चाहिये और कार्पोरेशन की इनकम बढ़ाने का होना चाहिये यह तभी संभव होगा जब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कदम उठायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Girdhari Lal Vyas. If every hon. Member very kindly cooperates and takes only five minutes each, then we can complete this Bill today itself.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara): It cannot be completed within five minutes..

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not for you to decide. If you do not have a general discussion on the entire road transport and restrict yourself strictly to the Amendment proper, then you would be educating the Government and also the other Members.

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं।

आप जानते हैं कि इस देश में जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन हैं, वे सब घाटे में चल रहे हैं। एक भी रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऐसा नहीं है, जो मुनाफ़े में चलता हो, हालांकि उनकी पूरी मानोपली है और सारी स्टेट की बढ़िया रोड्ज़ उनके कब्जे में हैं। राजस्थान के प्राईवेट आपरेटर कहते हैं कि अगर यह व्यवस्था किसी प्राईवेट आदमी को दे दी जाए, तो वह 350 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा करे। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्ज़ की वजह से सरकार को कितना घाटा हो रहा है। तीन हज़ार गाड़ियों में से 500, 700 और 1000 बेकार पड़ी हुई हैं।

15,000 मज़दूरों में से 5000 मज़दूर ऐसे मिलेंगे हर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में, जो एक पाई का काम भी नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग ट्रेड यूनियन के नेता बने हुए हैं। (व्यवधान) मैं मज़दूरों के खिलाफ़ नहीं हूं, लेकिन जब मज़दूर इस कार की हरकत करें, . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: If 5,000 workers do not work, how can the transport be run?

SHRI GIRDHARI LAL VYAS: Only one-third are not working.

वे सिर्फ ट्रेड यूनियन का काम करते हैं। लाल झंडे वाले लोग जहां भी चले जाते हैं, वे किसी को काम नहीं करने देते हैं। मुफ्त में पैसे लें और देश को बर्बाद करें, यही उनका ध्येय और लक्ष्य है। वे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में घुस गये हैं। अगर इन कारपोरेशन्ज को सही ढंग से काम करना है, तो इस समस्या का हल करना होगा।

गाड़ियों की देख-भाल बिल्कुल नहीं होती है। एक नई गाड़ी साल भर में ही टूट फूट जाती है, उसके सारे नये पार्टस बदल दिये जाते हैं और पुराने पार्टस लगा दिये जाते हैं। उनकी सफाई कभी नहीं होती है, कोई उन्हें धोने पोछने वाला नहीं है। इस नेशनलाइजेशन का क्या फ़ायदा है? इससे तो देश का धन बर्बाद हो रहा है। नेशनलाइजेशन के साथ साथ व्यवस्था को अच्छा बनाना चाहिये, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। आज तो लोगों को गालियां और धक्के मिलते हैं। लोग अपमानित होते हैं। उन्हें शिकायत की पुस्तिका देना तो दूर, जूतों से उनकी पिटाई की जाती है। अगर ऐसी स्थिति जारी रहती है, तो रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ठीक तरह से नहीं चल सकती है।

एक गाड़ी से एक हजार रूपये रोज की आमदनी हो सकती है, लेकिन कारपोरेशन को नुकसान होता है—करोड़ों रूपयों का घाटा होता है। नेशनलाइजेशन के पीछे हमारा मकसद यह था कि ज्यादा लोगों को एम्प्लायमेंट मिले, जनता को अच्छी सर्विस मिले। वह तो नहीं हुआ और कम्युनिस्ट भाई उनमें आ कर बैठ गये हैं और लोगों को जूते मार मार कर बाहर निकालते हैं। इस तरह की हालत कम्युनिस्ट भाइयों ने कर रखी है। यह लाल झंडी वाले जो हैं इन्होंने ने ही ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में गड़बड़ मचा रखी है। ये लोग अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव मानते हैं लेकिन इन्होंने देश को बर्बाद करने की हालत पैदा कर रखी है

(व्यवधान)

दूसरी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि कारपोरेशन के जो बाबू है, टिकट चेकर और कंडक्चर्स है वे क्या कर रहे हैं? वे 55 सवारियों में से केवल 5 सवारियों को ही टिकट इश्यु करते हैं और 50 सवारियां बिना टिकट ही जाती है। ऐसी हालत में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को कहां से आमदनी हो सकती है? अगर उनका दिवाला नहीं निकलेगा तो और क्या होगा? इन बातों को रोकने के लिये भी सरकार की ओर से माकूल व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमारे यहां राजस्थान में रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के लोगों ने पुराने और नये टायर मिलाकर 40 रुपये की टायर के हिसाब से नीलाम कर दिये। तीन हजार का टायर केवल चालीस रुपये में बेच दिया गया। इस तरह से लाखों करोड़ों रुपये का सामान कौड़ियों के भाव पर बेच दिया गया। इस संबंध में पुलिस में भी केस रजिस्टर किया गया लेकिन वहां भी गोल माल हो गया। इस सौदे में किस किस ने कितने कितने पैसे खाये इसका अन्दाज आप लगा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सारे मामले की जांच करवायें। राजस्थान में रोड ट्रांसपोर्ट में चालीस रूपये प्रति टायर के हिसाब से टायर नीलाम कर दिये गये हैं . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Vyas, the speech that should have been made in Rajasthan Assembly is made here.

श्री गिरधारी लाल व्यास : चूंकि यह इस सरकार द्वारा दिया गया करोड़ों रुपया है जिसका इस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है इसीलिए मैं यहां पर यह कह रहा हूं । जनता के इस पैसे को डूबना नहीं चाहिए । इसकी पूरी जांच करवाने की आवश्यकता है तथा जांच में जो भी लोग दोषी पा जायें उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए । सी० बी० आई० के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए । इतना बड़ा केस हुआ जो पुलिस में भी रजिस्टर किया गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ । इसलिए मेरा आग्रह है कि सी० बी० आई० के द्वारा जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि रूट्स का नेशनेलाइजेशन होने के बाद भी बड़ा घपला होता है । उस रूट पर यदि आपकी दो गाड़ियां चलती हैं तो प्राइवेट 50 चलती हैं । आज सरकार द्वारा नेशनलाइज्ड रूट्स का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं । इससे ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्स को बड़ा नुक्सान हो रहा है इसको रोकने की नितान्त आवश्यकता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, it is time that you speak a few words on the amendments.

श्री गिरधारी लाल व्यास : कार्पोरेशन के लोग भी मिले रहते हैं। सरकार के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है इसका आप अन्दाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इन सारी बातों को रोका जाना चाहिए ताकि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्स ठीक प्रकार से चल सकें ।

मेरा निवेदन है कि मैं नेशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जितने आपके पास साधन हैं उतना कीजिए ताकि व्यवस्था न बिगड़े । सड़कों पर गाड़ियां खाली जाती रहती हैं लेकिन वहां खड़े गरीब किसान को गरीब लोगों को गाड़ी में नहीं बैठाया जाता है । इस व्यवस्था की माकूल तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए ।

जो लोग प्राइवेट बसेज चलाते हैं, व तो अपनी गाड़ियों की रोज सफाई करते हैं, उनको ठीक रखते हैं, लेकिन यदि आप हमारे रोडवेज की हालत को देखें, तो सारी गाड़ियां खराब रहती हैं । कई-कई महीने तक उनकी सफाई नहीं होती है । टूट-फूट की कोई व्यवस्था नहीं है । यह स्थिति सारे देश की है। प्राइवेट बसेज वाले 1 रु० 70 पै० मील के हिसाब से चलकर भी प्रोफिट कमा लेते हैं। लेकिन हम लोग घाटे में चलते हैं। यह स्थिति कब तक चलेगी । रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वाले 20-20 करोड़ रुपया का घाटा देंगे तो कब तक आप सरकारी खजाने से उसकी पूर्ति करते जायेंगे । आपको इन पर अंकुश लगाना चाहिए । इनकी आमदनी पर अंकुश लगाना चाहिए । लीकेज बन्द कीजिए । इसमें बड़े-से-बड़े से अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे तमाम लोग इसमें मिले हुए हैं । तमाम आदमी कन्डक्टर से लेकर जनरल मैनेजर तक मिले हुए हैं और भयंकर घोटाला चल रहा है इसीलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इसको कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तरीके से इस व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाना पड़ेगा । तभी जागकर देश प्रगति कर सकता है... **(व्यवधान)**...

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

इन लाल झण्डे वालों को जो बदनाम करते हैं, उनको भी आप देखिये । लाल झण्डे वाले सब जगह गड़बड़ करते हैं। सब जगह चोटिंग, फ्राड, जितने भी काम होते हैं, ये सब ये लोग करते हैं। इनको रोकने की व्यवस्था कीजिए । तभी काम आपका ठीक प्रकार से चल सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री चतुर्भुज (झालवाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का किश्तों में समर्थन करता हूं । 1950 के अन्दर कानून बना था और अब इसके बाद 1982 में यह बिल आया है । 30 वर्षों के अन्दर यदि हमारी सरकार ने पिछले आंकड़ों का अवलोकन किया होता कि हमारे देश में रोडवेज की स्थिति क्या रही है, तो वह बहुत पहले इस बिल को लेकर सदन में आ जाती । इस बिल में एक गुणात्मक सुधार करने के लिए यह संशोधन कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि आप फिर भी गुणात्मक सुधार नहीं कर पायेंगे । रोडवेज की हालत दिन-प्रति दिन खराब होती जा रही है । कारपोरेशन्स की स्थिति खराब हो चुकी है । आज हिन्दुस्तान का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, जहां घाटा न चल रहा हो । कोई भी पब्लिक सैक्टर को आप ले लीजिए, किसी भी इन्डस्ट्री को आप ले लीजिए, सभी जगह पर घाटे हो रहे हैं। कहना यह चाहिए कि इन लोगों के अन्दर गुणतामक सुधार नहीं हो रहा है, अगर इन जन-प्रतिनिधियों के अन्दर गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो आप कारपोरेशन्स के अन्दर गुणात्मक सुधार नहीं कर सकते हैं--यह मेरा सदन के अन्दर दावा है । क्या आज कोई भी जनता के बीच में खड़ा हो कर कह सकता है कि उसके अधीन चलने वाला अमुक कारपोरेशन फ़ायदे में चल रहा है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने चिंतन में गुणात्मक सुधार कीजिए, प्रशासन के अन्दर गुणात्मक सुधार कीजिए, तभी देश का भला होगा । नहीं तो देश धीरे-धीरे रसातल में जा रहा है और हो सकता है कि आप 5 साल पूरे न कर सकें । जनता जाग रही है । आपके कारनामों को जनता देख रही है । मैं कहता हूं कि आप इन चीजों की ओर गंभीरता से विचार कीजिए । अमेण्डमेंट करने से कुछ नहीं होगा । देश की क्या स्थिति हो रही है । भारत गांवों में बसता है । देश में 5 लाख 70 हजार गांव हैं, इनमें से कितने गांवों को लिंक रोड से जोड़ा गया है ? आज आप यह बताने की स्थिति में नहीं हैं । आपका ध्यान शहरों की तरफ है । शहरों की सड़कों को गुलाब के फूलों से सजाया जा रहा है, लेकिन गांवों की क्या स्थिति है । हम सही विकास तब समझेंगे जब गांव का किसान ठीक तरह से यात्रा कर सकेगा । किसान की महिला, मजदूर की महिला के बच्चे को बस में टट्टी आती है, तब उसके साथ आपके कर्मचारी का व्यवहार जब मानवता का होगा, तब सही मायने में सुधार होगा ।

आप कहीं से भी कर्जा ले लीजिए, सुधार नहीं हो सकता । आपके यहां दौलत की कमी नहीं है, कमी है तो नेशनल करेक्टर की । अगर नेशनल करेक्टर का सुधारा जाए तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं । आज महात्मा गांधी के सपनों को साकर होने में यदि कोई सबसे बड़ा बाधक है तो वह स्वयं सरकार है । मैं यह आरोप सरकार पर लगा रहा हूं । इस देश का मजदूर इस देश की मिट्टी से बना हुआ है । वह इस देश के लिए जिएगा। कोई झण्डा अपने साथ ले कर नहीं आया हैं।

कोई लाल झण्डे वाला नहीं है। हम इस देश की मिट्टी से बने हुए हैं। हम आपसे सहयोग करने के लिए तैयार हैं यदि राष्ट्रीयता के आधार पर गुणात्मक सुधार करने का प्रयत्न किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि गुणात्मक सुधार नहीं किया गया, मैनेजमेंट को नहीं सुधारा गया तो कोई सहयोग नहीं करेगा। आज पढ़ा-लिखा आदमी तो सरकार को गाली देता ही है, गांव का किसान भी जब बस स्टैंड पर बैठ कर जब देखता है कि बसों का पता नहीं है तो सोचता है कि इस देश का क्या होगा। सड़कों की हालत खराब है।

आप देखिए कि एक वर्ष के अन्दर राष्ट्रीय मार्गों पर कितनी मिट्टी डाली जाती है। 20 हजार व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय मार्गों पर दुर्घटना के शिकार होते हैं और 1 लाख 20 हजार व्यक्ति स्टेट्स के मार्गों पर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं और कच्ची सड़कों पर तो दुर्घटनाओं की गिनती ही नहीं है। यह देश के लिए शर्म को बात है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि ऋण आप कहीं से भी लें, किसी भी चहेते व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाएं, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन कैरेक्टर के द्वारा बैठाइये। और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको जेल भेजो। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा था कि खाने पीने वाले आदमी को कुर्सी पर बैठाओ। ऐसे आदमी को तो जेल भेजना चाहिए।

हमारे देश में छठी योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आपका कहना हैं कि गरीबों के लिए काम किया है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबों के लिए आप कितना काम कर रहेहैं? उसका कोई लक्ष्य है? आप कहेंगे कि 28 परसेंट कार्य करने का लक्ष्य रखा है। तो उसके अनुसार तो केवल 20,000 गांव ही आते हैं, जब कि हालत यह है कि देश के 4 लाख गांव रोड से नहीं जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले रोड से नहीं जुड़ रहे हैं। तो क्या आशा करें कि आप छठी योजना में कुछ कर सकेंगे? यही कारण है कि जनता का अविश्वास आपके प्रति बढ़ता जा रहा है। कोई भी पार्टी छूटी नहीं है। एक गंदा आदमी सारे आदमियों पर आरोप लगा देता है। इसलिए आप हमारे और देश के मार्गदर्शनकर्ता बनिये।

जैसा माननीय व्यास जी ने कहा राजस्थान परिवहन के अन्दर टायर कांड हुआ और दोषी आदमी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया। उल्टे उस व्यक्ति को प्रोमोशन दिया गया। क्या ऐसे कारनामों को आप पसन्द करते हैं? मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, आप अपनी जगह से कोई व्यवस्था दीजिए। आप देखें कि दिल्ली से राजस्थान को जो बसें चलती हैं डीलक्स या एयर कंडीशण्ड बसेज़ उनकी हालत क्या है? बीकानेर हाउस से वह चलती हैं लेकिन वहां यात्रियों के लिए न पानी की व्यवस्था न कोई शैड है, न कोई वेटिंग रूम है। एक तरफ आप किराया बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सुविधायें शून्य करते जा रहे हैं।

हमारा देश गांवों में बसता है। गांधी जी ने कहा था कि गांवों का उद्धार होगा तो देश का उद्धार होगा क्योंकि 90 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जिनकी मेहनत पर हम यहां बैठे हैं। अगर आपने उनकी गरीबी को दूर नहीं किया, ईमानदारी को जागृत नहीं किया और उनमें निराशा आ गई तो लोकतन्त्र नष्ट हो सकता है। लोगों के विचार दूर हट सकते हैं। इसलिए

[श्री चतुर्भुज]

आप सही रास्ते पर आइये। यदि देश को कहीं खतरा पहुंचा तो आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसलिए उचित व्यवस्था कीजिए।

आप और कारपोरेशन्स बढ़ाइये, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उन पर लाखों रुपया खर्च कीजिए लेकिन समुचित और उचित व्यवस्था कीजिए, लोगों की यात्रा सस्ती और सुविधाजनक कीजिए ताकि गरीब का भाव आपके प्रति बढ़े कि वास्तव में देश में कोई सरकार चल रही है जो हमारे लिए व्यवस्था कर रही है और हमारे प्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व का ठीक-ठीक निर्वाह कर रहे हैं। यदि आप इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा सके तो लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और उस महान क्रान्तिकारी, जिसने देश को आगे बढ़ना सिखाया था यानी गांधी जी, उसके साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए गांवों की ओर भी परिवहन को ले जाइये। गांवों को शहर से जोड़ने के लिए आवागमन की ठीक से व्यवस्था कीजिए तभी इस देश का उद्धार होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि आपको इसमें गुणात्मक सुधार करना चाहिए और हर स्टेज पर करना चाहिए।

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thuursday, October 7, 1982/Asvina 15, 1904 (Saka)

GMGIPND—2239 LS—3-12—82 890